

अज अदालत : न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर

फूलचंद बनाम समुंदर

इजराय संख्या 54 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
02.04.2026	डिक्रीदार अधिवक्ता उपस्थित। मदयून अधिवक्ता उपस्थित। मदयून अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आदेश दिनांक 06.03.2026 की रिवीजन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की है जिसमें गत पेशी दिनांक 01.04.2024 थी लेकिन सुनवाई हेतु नम्बर नहीं आने के कारण आगामी पेशी 08.04.2026 नियत की गई है। अतः आगामी तारीख पेशी 08.04.26 के पश्चात् दिये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट से निकाले गये स्टेटस रिपोर्ट की प्रति पेश की। मदयून द्वारा पेश स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मदयून द्वारा हस्तगत प्रकरण में रिवीजन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश कर रखी है जिसमें आगामी तारीख पेशी 08.04.26 नियत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इजराय प्रकरणों को छह माह में निस्तारण बाबत निर्देश दे रखे हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति को देखते हुये न्यायहित में मदयून एक अंतिम अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आगामी पेशी पर मदयून द्वारा स्थगन आदेश पेश नहीं किये जाने की स्थिति में प्रकरण में डिक्रीदार को विवादित परिसर का कब्जा सुपुर्द किये जाने हेतु दखलवारंट जारी किया जावे। पत्रावली वास्ते पेश होने स्थगन आदेश/जारी होने दखल वारंट हेतु दिनांक 10.04.2026 को पेश हो।	